न्यायालय सहायक कलक्टर, (Fast Track) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 328 / 2019

वादीगण

1 किशनाराम 2 डूंगराराम पिसरान पीराराम जाति कुमावत निवासी नारणोणियों की ढाणी भाडखा 3 रेखादेवी पुत्री पीराराम पत्नी मोहनलाल 4 बिवूदेवी पुत्री पीराराम पत्नी हडुमानराम 5 पवनीदेवी पुत्री पीराराम पत्नी दीपाराम 6 रूखमोदेवी पुत्री पीराराम पत्नी किशनाराम जाति कुमावत निवासी प्रागोणियो की ढाणी भाडखा तहसील व जिला बाडमेर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1 पीराराम पुत्र कुशलाराम उर्फ कौशलाराम जाति कुमावत निवासी नारणोणियों की ढाणी भाडखा 2 वीराराम 3 खंगाराराम 4 देदाराम पिसरान मानाराम 5 पाचीदेवी पत्नी मानाराम 6 नरसीगाराम 7 दामोदर 8 चेतनराम पिसरान फकीराराम 9 कनको पत्नी फकीराराम 10 खीमाराम 11 करनाराम पिसरान खुशालाराम 12 अणछीदेवी पत्नी मेलाराम 13 गगाराम पत्नी मानाराम 14 टीपूदेवी पत्नी खुमाणाराम 15 वदुदेवी पत्नी जालुराम 16 गेरोदेवी पत्नी सगताराम 17 रतनाराम 18 समेलाराम पिसरान कौशलाराम 19 गेमराराम 20 रेखाराम 21 धर्माराम 22 गणेशकुमार पिसरान मानाराम 23 गगादेवी पत्नी मानाराम 24 राणाराम 25 खुमाणाराम 26 सवाईलाल 27 थानाराम पिसरान नवलाराम 28 गगादेवी पत्नी नवलाराम 29 नेनूदेवी पत्नी शिवलाल 30 जालु पुत्र हाथी 31 सगताराम 32 कानाराम पिसरान आम्बाराम 33 धाईदेवी पत्नी आम्बाराम 34 शंकराराम 35 खुमानाराम 36 इन्द्राराम पिसरान लुणाराम 37 हुकमाराम 38 खानुराम पिसरान ठाकराराम 39 हस्तु पत्नी लालाराम 40 गगादेवी पत्नी भूराराम 41 जगदीश 42 दशरथ पिसरान भूराराम 43 मूलाराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी नारणोणियों की ढाणी भाडखा तहसील व जिला बाडमेर 44 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाडखा बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री देवीलाल कुमावत वकील वादीगण।

2. श्री अम्बालाल जोशी वकील प्रतिवादी संख्या 01।

निर्णय

दिनांक 25/02/20

संक्षिप्त मे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 43 स्वर्गीय नारणा के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण. प्रतिवादी संख्या 01 के पुत्र होने से विधिक वारिस है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 43 की मिलक, संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा भाडखा पुरोहितान पटवार क्षैत्र भाडखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 473 रकबा 276.09 बीघा भूमि आई हुई है, उक्त भूमि में से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के सयुक्त हिस्से मे रकबा 07.07 बीघा भूमि आती है तथा मौजा भाडखा पुरोहितान पटवार क्षैत्र भाडखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 624 / 472 रकबा 15.00 बीघा, खसरा संख्या 787 / 545 रकबा 08.15 बीघा भूमि तथा मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाडखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 311 / 83 रकबा 12 बीघा खसरा संख्या 317 / 95 रकबा 01.15 बीघा भूमि वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से मे आती है, जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा काश्त है। उप वर्णित भूमि में वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/7–1/7

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाडमेर

Scanned with CamScanner

हिस्सा निहित है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 पीराराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/7-1/7 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है। उक्त खसरान की भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा नीहित होने के कारण वादीगण प्रत्येक का 1/7-1/7 हिस्सा है। वकील वादीगण द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित करने का निवेदन किया।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब मय राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। उक्त पैतृक भूमि में वाद में अंकित हिस्सा अनुसार वादीगण का हिस्सा है, जिसे घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 पीराराम द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टी की, जिसे सामिल मिसल किया गया।

बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 पीराराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जावे। वकील प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बहस के दौरान अवगत करवाया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है तथा वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के जायन्दा पुत्र होने के नाते वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है, जिसे सहखातेदार घोषित करवाने के वादीगण अधिकारी है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा के पक्ष में रहन है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा एवं आवेदन वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा एवं आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा भाडखा पुरोहितान पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 473 रकबा 276.09 बीघा भूमि में से रकबा 07.07 बीघा भूमि तथा मौजा भाडखा पुरोहितान पटवार क्षेत्र भाडखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 624/472 रकबा 15.00 बीघा, खसरा संख्या 787/545 रकबा 08.15 बीघा भूमि तथा मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाडखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 311/83 रकबा 12 बीघा खसरा संख्या 317/95 रकबा 01.15 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी पीराराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाडमेर

Scanned with CamScanner

का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें।** शेष खाता बदस्तूर रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 25/02/20 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2020.06.26 17:29:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: